4. संघ और उसका राज्य क्षेत्र

- अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। यद्यपि भारत की राजनीतिक संरचना परिसंघीय हैं। इस शब्द (संघ) के प्रयोग करने के पीछे दो तर्क दिये जाते है- पहला, भारतीय संघ राज्यों के बीच समझौता का परिणाम नही तथा दूसरा, राज्यों को संघ से पृथक होने का अधिकार नहीं है।
- अनुच्छेद 2 में संसद को शक्ति दी गई है कि वह संघीय भारत में नये राज्यों का प्रवेश या गठन कर सकती है। अनुच्छेद 2 भारतीय संसद को दो शक्तियां प्रदान करता है-
  (i) नये राज्यों का गठन करने की शक्ति है। अनुच्छेद 2 उन राज्यों, जो भारतीय संघ के हिस्से नहीं है के प्रवेश एवं गठन से संबन्धित है।
  (ii) नये राज्यों को भारत के संघ में शामिल करने की शक्ति।

राज्यों के पुनर्गठन पर संसद की शक्ति

केन्द्र सरकार को राज्यों के पुनर्गठन के लिए जो उदार शक्ति दी गई है, उसका कारण यह है कि भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों की बनावट ऐतिहासिक और राजनीतिक कारणों पर आधारित थी। उसका आधार लोगों का सामाजिक, सांस्कृतिक तथा भाषाई स्वरूप नहीं था।

अनुच्छेद 3 – संसद विधि द्वारा :

क. किसी राज्य में से उसका राज्यक्षेत्र अलग करके अथवा दो या दो से अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्यक्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नये राज्य का निर्माण कर सकेगी।

ख. किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी।

ग. किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी।

घ. किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी।

ङ किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी।

अनुच्छेद 4-

संसद विधि द्वारा संविधान की पहली और चौथी अनूसूची का संशोधन कर सकेगी।

<u>राज्य निर्माण की प्रक्रिया</u>

संसद नये राज्य का निर्माण या सीमाओं में परिवर्तन साधारण बहुमत से कर सकती है। लेकिन राज्य के निर्माण या सीमाओं में परिवर्तन से सम्बन्धित कोई प्रस्ताव राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से ही संसद में पेश किया जायेगा। सिफारिश से पूर्व राष्ट्रपति उस अध्यादेश को संबन्धित राज्य के विधानमंडल का मत जानने के लिए भेजता है। यह मत राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर दिया जाना चाहिए। राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल के मत को मानने के लिए बाध्य नहीं।

संघ राज्य क्षेत्र के मामले में विधानमंडल के सन्दर्भ की कोई आवश्यकता नहीं, संसद जब उचित समझे स्वयं कदम उठा सकती है।

- प्रश्न उठता है कि क्या संसद अनुच्छेद 3 के तहत भारत के किसी राज्य क्षेत्र को अन्य देश को दे सकती है। बेरूबारी मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद को अनुच्छेद 3 के तहत भारत के राज्य क्षेत्र को अन्य देश को देने की शक्ति नहीं है। यह कार्य संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन द्वारा ही किया जा सकता है।

संघ क्षेत्रों एवं राज्यों का उद्‌भव

<u>शाही राज्यों का एकीकरण</u>

आजादी के समय भारत में दो श्रेणियों की राजनीतिक इकाइयां थीं, ब्रिटिश प्रांत (ब्रिटिश सरकार के शासन के अधीन) और शाही राज्य (राजकुमार शासन के अधीन लेकिन ब्रिटिश राज्य शाही से संबद्ध।) भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम (1947) के तहत दो स्वतंत्र एवं पृथक प्रभुत्व वाले देश भारत और पाकिस्तान का निर्माण किया गया और शाही राज्यों को तीन विकल्प दिए गए-भारत में शामिल हों, पाकिस्तान में शामिल हों या स्वतंत्र रहे। 552 शाही राज्य भारत की भौगोलिक सीमा में थे। 549 भारत में शामिल हो गए और बचे हुए तीन (हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर) ने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया। यद्यपि ये तीनों बाद में भारत से जुड़े थे-हैदराबाद पुलिस कार्यवाही के जरिये, जूनागढ़ जनमत के जरिये और कश्मीर आवागमन संसाधनों के जरिये।

धर आयोग और जेवीपी समिति

जून, 1948 में भारत सरकार ने एस.के. धर की अध्यक्षता में भाषायी प्रांत आयोग की नियुक्ति की। आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर, 1948 में पेश की। आयोग ने सिफारिश की कि राज्यों का पुनर्गठन भाषायी तथ्य की बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होना चाहिए।

कांग्रेस द्वारा दिसंबर 1948 में एक अन्य भाषायी प्रांत आयोग का गठन किया गया। इसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल और पट्टाभि सीता रमैया शामिल थे, जिसे जेवीपी समिति के रूप में जाना गया। इसने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1949 में पेश की और इस बात को अस्वीकार किया कि राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा होना चाहिए।

हालांकि अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को भाषा के आधार पर पहले राज्य के गठन के लिए मजबूर होना पड़ा जब मद्रास से पृथक कर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया।

फज़ल अली आयोग

आंध्र प्रदेश के निर्माण से अन्य क्षेत्रों में भी भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग उठने लगी। इसके चलते भारत सरकार को दिसंबर 1953 में एक तीन सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग, फज़ल अली की अध्यक्षता में गठित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके अन्य दो सदस्य थे- के एम. पणिक्कर और एच.एन. कुंजरू। इसने अपनी रिपोर्ट 1955 में पेश की और इस बात को व्यापक रूप से स्वीकार किया कि राज्यों के पुनर्गठन में भाषा आधार हो।

समिति ने किसी राज्य पुनर्गठन योजना के लिए चार बड़े तथ्यों की पहचान की-

- देश की एकता एवं सुरक्षा की व्यापकता एवं संरक्षण।
- भाषायी व सांस्कृतिक एकरूपता।
- वित्तीय, आर्थिक एव प्रशासनिक संबंध।
- प्रत्येक राज्य एवं पूरे देश में योजना एवं लोगों के कल्याण।

1950 के पश्चात् बनाए गए राज्य

- **आंध्र प्रदेश:** आन्ध्र राज्य अधिनियम 1953 द्वारा मद्रास राज्य के कुछ क्षेत्र निकालकर बनाया गया।
- **केरल:** राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा ट्रावनकोर-कोचीन की जगह बनाया गया।
- **कर्नाटक:** राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा तत्कालीन मैसूर राज्य से बनाया गया 1973 में इसे कर्नाटक नाम दिया गया।
- **गुजरात तथा महाराष्ट्र:** मुम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960 द्वारा मुम्बई राज्य को दो भागों गुजरात तथा महाराष्ट्र में विभाजित कर दिया गया।
- **नागालैंड:** नागालैंड राज्य अधिनियम 1962 द्वारा असम राज्य से कुछ क्षेत्र निकालकर बनाया गया।
- **हरियाणा:** पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 द्वारा पंजाब के कुछ क्षेत्र को निकालकर बनाया गया।
- **हिमाचल प्रदेश:** हिमाचल संघ राज्य क्षेत्र को हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 द्वारा राज्य का दर्जा प्रदान किया गया।
- **मेघालय:** संविधान के 23वें संशोधन अधिनियम 1969 द्वारा इसे मेघालय असम राज्य के भीतर एक उपराज्य बनाया गया। पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 द्वारा उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया।
- **मणिपुर, त्रिपुरा:** पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 द्वारा संघ राज्य क्षेत्र से पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया।
- **सिक्किम:** संविधान के 35वें संशोधन अधिनियम 1974 द्वारा सहयुक्त राज्य का दर्जा दिया गया तथा 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया।
- **मिजोरम:** मिजोरम राज्य अधिनियम 1986 द्वारा संघ राज्य क्षेत्र से पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया।
- **अरुणाचल प्रदेश:** अरुणाचल प्रदेश अधिनियम 1986 द्वारा संघ राज्य क्षेत्र से पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया।
- **गोआ:** गोआ, दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 द्वारा संघ राज्य क्षेत्र में से दमन और दीव को संघ राज्य क्षेत्र बना रहने दिया तथा गोआ को निकालकर राज्य का दर्जा प्रदान किया।
- **छत्तीसगढ़:** यह राज्य मध्य प्रदेश से अलग कर पृथ्क राज्य बनाया गया है, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 द्वारा सृजित।
- **उत्तराखंड:** यह राज्य उत्तर प्रदेश से अलग कर पृथक् राज्य बनाया गया है, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 द्वारा सृजित।
- **झारखंड:** यह राज्य बिहार राज्य से अलग कर पृथक् राज्य बनाया गया है, बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 द्वारा सृजित